

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०:-3/अ०प्र०-1-120/2022

680

/पटना, दिनांक :- 05/04/23

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के कार्यपालक अभियंता(कार्यकारी प्रभार) श्री अरविन्द कुमार झा एवं महिला संवेदक के मध्य वार्तालाप से सम्बंधित वायरल ऑडियो में योजना के कार्यों के अतिरिक्त अन्य वार्तालाप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण मामले की विस्तृत जाँच हेतु कार्यालय आदेश संख्या-55 सह पठित ज्ञापांक-2057 दिनांक 08.12.2022 द्वारा श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुख्य अभियंता-2 की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय जाँच समिति गठित किया गया, जिसमें सदस्य के रूप में श्रीमती अरुणा कुमारी, कार्यपालक अभियंता, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता एवं श्री पंकज कुमार, सहायक अभियंता को नामित किया गया।

2. मुख्य अभियंता-2 का पत्रांक 1785 अनु० दिनांक 22.12.2022 द्वारा मामले से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्ष में उल्लेखित है कि महिला संवेदक के परस्पर सहयोगात्मक रवैया के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा लंबा वार्तालाप किया गया। महिला संवेदक विधवा हैं तथा नकारात्मक सोच के कारण खुद को असुरक्षित समझती हैं। कार्यपालक अभियंता द्वारा 'अन्यत्र अकेले' मिलने की बात पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके प्रति नकारात्मक छवि मन मस्तिष्क में बैठा लेती हैं। निर्माण कार्य में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं किए जाने का भय भी मन में था। कार्यपालक अभियंता पर अनावश्यक दबाव बनाने एवं स्वयं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ऑडियो को महिला संवेदक द्वारा वायरल किया गया। स्थानीय, स्वजातीय तथा सहानुभूति की वजह से कार्यपालक अभियंता के पद पर आसीन रहते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के अतिरिक्त दूरभाष पर महिला संवेदक से "अन्यत्र अकेले" मिलने का आग्रह करना एवं भविष्य में हर तरह की मदद की बात करना शोभनीय नहीं है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 के उपनियम-4 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

3. इस प्रकार चार सदस्यीय जाँच समिति द्वारा अपने निष्कर्ष में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर द्वारा योजना के अतिरिक्त दूरभाष पर महिला संवेदक से "अन्यत्र अकेले" मिलने का आग्रह करना एवं भविष्य में हर तरह की मदद की बात करना शोभनीय नहीं होने का मंतव्य दिया गया है। अतः जाँच समिति द्वारा अंकित निष्कर्ष के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर से विभागीय पत्रांक-2217 अनु० दिनांक 23.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

4. श्री अरविन्द कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक शून्य दिनांक 30.12.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि 'MMGSY(SC) के दिये गये आवंटन के चेक से भुगतान करने हेतु दिनांक 26.11.2022 को बेनीपुर के योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में L031 से चमरटोली का भी निरीक्षण किया गया। स्थल पर महिला संवेदक का नाबालिग लड़का उपस्थित था। भुगतान व अवशेष कार्य हेतु महिला संवेदक के बेटा के मोबाईल से स्थल पर से ही महिला संवेदक से वार्ता हुई। स्थानीय व

23/12/23

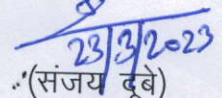
स्वजातीय होने के कारण कार्य के अतिरिक्त थोड़ा अन्य बातचीत भी दोनों तरफ से किया गया। कार्य हित में संवेदक से मिलना तथा मदद का आश्वासन, अपने अवशेष कार्य को पूर्ण करवाने हेतु किया गया तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने का उल्लेख श्री झा द्वारा किया गया।

5. श्री अरविन्द कुमार झा, कार्यपालक अभियंता(कार्यकारी प्रभार), कार्य प्रमंडल, बेनीपुर द्वारा समर्पित उक्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए निम्न दंड संसूचित/अधिरोपित किया जाता है :-

(i) बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
23/3/23

:(संजय दूबे)

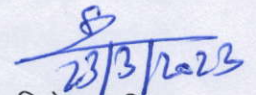
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-1-120/2022

681

/पटना, दिनांक :- 05/04/23

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी-12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ श्री अरविन्द कुमार झा तदेन कार्यपालक अभियंता(कार्यकारी प्रभार), कार्य प्रमंडल, बेनीपुर सम्प्रति तकनीकी सलाहकार (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
23/3/23

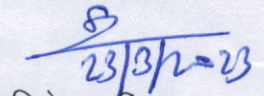
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-120/2022

681

/पटना, दिनांक :- 05/04/23

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
23/3/23

विशेष सचिव

